रुपये प्रति कुकर की दर से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही थी। इस आर्थिक राज सहायता को 1 अप्रैल, 1994 से वापस ले लिया गया है। तथापि प्रचार एवं सौर कुकर से संबंधित अन्य कार्यकलापों के लिए राज्यों को अब सहायता-अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए भी परिव्यय उतना ही है जितना कि वर्ष 1993-94 के दौरान आर्थिक राज सहायता कार्यक्रम के लिए था।

(ख) सरकार द्वारा सौर कुकरों का मूल्य-निर्धारण नहीं किया जाता है। तथापि संदूक के आकार वाले सौर कुकर का मूल्य 900 रुपये से 1500 रुपए के बीच है जो इस्तेमाल की गई सामग्री और सौर कुकर की विशेष विशिष्टियों आदि पर निर्भर करता है।

(ग) देश में सौर कुकर को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार सीधे ही प्रचार कार्य करने के अलावा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है और इनके माध्यम से विनिर्माताओं को विपणन, बिक्री के पश्चात् की सेवाओं के लिए अवसंरचना विकास, प्रशिक्षण और प्रदर्शन आदि के लिए यह सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले सिविल सेवा अधिकारी

2789. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1991-92 से 1993-94 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई०ए०एस०) भारतीय पुलिस सेवा (आई०पी०एस०) तथा भारतीय विदेश सेवा (आई०एफ०एस०) संवर्ग के कितने अधिकारियों की सेवा अवधि में वृद्धि की गई है तथा कितने अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की और कितने अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई;

(ख) राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा पृथक-पृथक रूप से कितने मामलों में सेवा अवधि में वृद्धि और स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुमति दी गई; और

(ग) सेवा अवधि में वृद्धि दिये गये अधिकारियों का उनके पदनाम तथा सेवावृद्धि की अवधि सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) से (ग) अधिवर्षिता की सामान्य आयु के पश्चात् सेवावधि में वृद्धि संबंधित राज्य सरकार द्वारा छः महीने की अवधि के लिए तथा इसमें आगे और वृद्धि भारत सरकार के अनुमोदन से दी जाती है जो साधारणतया दो वर्ष की अवधि तक सीमित होती है कोई भी अधिकारी कम से कम 20 वर्ष की अर्हक सेवा करने के पश्चात् तीन महीने का नोटिस देकर सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ले सकता है। इसके अतिरिक्त किसी अधिकारी को, 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो उसके पूरे सेवा रिकार्ड की पुनरीक्षा करने पर अनुशासनिक कार्रवाई के तहत शास्ति के उपाय के रूप में अथवा लोक हित में अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया जा सकता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई०ए०एस०) अधिकारियों के संबंध में, गत तीन वर्षों के दौरान, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली के नियम 16(3) के तहत छः अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा अनिवार्य सेवा-निवृत्ति दी गई है, जबकि एक अधिकारी को शास्ति के उपाय के रूप में अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा निम्न अधिकारियों को सेवावधि में छः महीने से अधिक की वृद्धि दी गई

वर्ष	नाम	संवर्ग	अवधि
(i) 1991	एस० के० मिश्रा प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री का कार्यालय	हरियाणा	1.5.91 से 21.8.91
(ii) 1992	एस० पदमकुमार मुख्य सचिव,	केरल	1.3.92 से 28.2.93

वर्ष	नाम	संवर्ग	अवधि
(iii) 1993	के० वी० आर० नायर मुख्य सचिव	केरल	28.2.93 से 28.2.94
(iv) 1994	ए० एस० चथा मुख्य सचिव	पंजाब	1.2.94 से 31.1.95
(v) 1994	जेड० सैफुल्ला मंत्रिमंडल के सचिव	कर्नाटक	1.5.94 से 31.7.94
(vi) 1994	आर० एन० दास मुख्य सचिव	उड़ीसा	1.4.94 से 30.9.95

(vii) राज्य सरकारों से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति की अनुमति प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में तथा राज्य सरकारों द्वारा छः महीने तक की सेवावधि में वृद्धि प्राप्त अधिकारियों से संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से संबंधित सूचना गृह मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास उपलब्ध है और उनसे एकत्रित की जा रही है।

Improving the S.S.C. Functioning

2790. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 757 given in the Rajya Sabha on 16th March, 1995 and state:

(a) whether answer sheets of the Assistant Grade examination held in February, 1994 were found missing or misplaced before their evaluation; and

(b) if so, whether Government have evaluated the situation that has given rise to all such activities and if so, the outcome thereof and how Government propose to make the Staff Selection Commission function in a better manner?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) Two bundles of answer sheets for Paper I and II of 357 candidates who appeared for Assistant Grade Examination, 1993 held on 20.2.94 from a Delhi Centre were found misplaced before their evaluation. Consequently, a re-examination of the affected candidates was held on 8.1.1995.

(b) Action has already been initiated for preventing recurrence of such incidents.

Grih Kalyan Kendras in the Country

2791. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to State:

(a) whether it is a fact that Government have set up Grih Kalyan Kendras in the country; if so, the number of such Kendras set up so far;

(b) what are the details of functions earmarked for these Kendras;

(c) whether these Kendras provide schooling facilities; if so, what are the guidelines for admission therein including the monthly fees charged from students;

(d) whether it is a fact that tuition fees charged in these Kendras differ from area to area; if so, the reasons therefor; and

(e) whether Government have received complaints against difference in tuition charges; if so, the steps being taken to remove the discrepancy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS